2010 का विधेयक सं. 24

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-**(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 **क़े राजस्थान अधिनियम सं.** 13 **क़ी धारा** 89 **का संशोधन.-**राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), ज़िसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 89 में,-

(क) उप-धारा (**1)** में**,** अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न **":"** के स्थान पर विराम चिह्न **"।"** प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) उप-धारा (**1)** का विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

(ग) उप-धारा (**6)** में**,** विद्यमान अभिव्यक्ति **"**उप-धारा (**2)** के खण्ड (**i), (ii)** और (**iv)** में विनिर्दिष्ट पदों पर और उप-धारा (**3)** के अधीन काडर में सम्मिलित पदों पर**"** हटायी जायेगी**;** और

(घ) विद्यमान उप-धारा (**6-**क) हटायी जायेगी।

3. 1994 **क़े राजस्थान अधिनियम सं.** 13 **की धारा** 90 **का संशोधन.-**मूल अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (iii) और (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

———

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के क्रम में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती का उत्तरदायित्व जिला स्थापन समिति को सौंपा जाना आवश्यक है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धरा 89 और 90 के विद्यमान उपबंधों के अधीन तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है।

यह महसूस किया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। अतः, अधिनियम के उपबंधों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती का कार्य जिला स्थापन समिति को सौंपा जा सके।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है ।

भरत सिंह,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 **का अधिनियम सं.** 13) **से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX

89. **राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा का गठन.-(1)** राज्य के लिए राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा के रूप में अभिहित और इस धारा में इसके पश्चात् सेवा के रूप में निर्दिष्ट एक सेवा गठित की जायेगी और उसके लिए भर्ती जिलेवार की जायेगी:

परन्तु उप-धारा (**2**) के खण्ड (**iii**) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए चयन राज्य स्तर पर किया जायेगा।

(2) सेवा को विभिन्न प्रवर्गों में विभाजित किया जा सकेगा, प्रत्येक प्रवर्ग को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा और उसमें-

(i) ग्राम सेवक;

(ii) ग्राम सेविकाएं;

(iii) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक;

(iv) लिपिकवर्गीय स्थापन (लेखाकारों और कनिष्ठ लेखाकारों को छोड़कर); और

(v) प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक;

होंगे।

(3) राज्य सरकार सेवा के काडर में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के किसी भी अन्य प्रवर्ग या श्रेणी के अधिकारियों और ऐसे कर्मचारियों को, जो चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित कर सकेगी।

(4) से (5) xx xx xx xx

(6) उप-धारा (**2**) के खण्ड (**i**), (**ii**) और (**iv**) में विनिर्दिष्ट पदों पर और उप-धारा (**3**) के अधीन काडर में सम्मिलित पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, धारा 90 की उप-धारा (**1**) में निर्दिष्ट जिला स्थापन समिति द्वारा जिले

में की किसी श्रेणी या प्रवर्ग में के पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से की जायेगी।

(6-क) उप-धारा (**2**) के खण्ड (**iii**) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से की जायेगी:

परन्तु विधवाओं और विच्छिन्न विवाह स्त्रियों के लिए आरक्षित पदों के मामले में, चयन ऐसी रीति से और ऐसी छानबीन समिति द्वारा किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

(6-ख) से (11) xx xx xx xx

90. **जिला स्थापन समिति का गठन और कृत्य- (1)** xx xx

(2) जिला स्थापन समिति-

(क) जिले में की पंचायत समिति और जिला परिषद् में की सेवा में विद्यमान धारा **89** की उप-धारा (**2**) के खण्ड (**iii**) और (**v**) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर, विभिन्न श्रेणियों और प्रवर्गों में के पदों के लिए चयन, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार करेगी;

(ख) अस्थायी नियुक्ति के ढंग को विनियमित करेगी और ऐसी नियुक्ति में छह मास से आगे की वृद्धि के लिए व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी;

(ग) विहित रीति से पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की सूचियां तैयार करेगी; और

(घ) जिले की पंचायत समितियों और जिला परिषद् को, धारा **79** और **82** में निर्दिष्ट से भिन्न, उनके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले उन सभी अनुशासनिक मामलों पर, जो धारा 91 के अधीन उत्पन्न हों, परामर्श दे सकेगी।

xx xx xx xx

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 **को और संशोधित करने के लिए विधेयक।**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

एच.आर.कुडी,
सचिव।

(भरत सिंह, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 24 of 2010

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

(Authorised English Translation)

Bill No. 24 of 2010

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:–

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 89, Rajasthan Act No. 13 of 1994.–In section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,–

(a) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ":", appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted;

(b) the existing proviso of sub-section (1) shall be deleted;

(c) in sub-section (6), the existing expression "on the posts specified in clauses (i), (ii) and (iv) of sub-section (2) and on the posts encadred under sub-section (3)" shall be deleted; and

(d) the existing sub-section (6-A) shall be deleted.

3. Amendment of section 90, Rajasthan Act No. 13 of 1994.–In clause (a) of sub-section (2) of section 90 of the principal Act, for the existing expression "except the posts specified in clause (iii) and (v) of sub-section (2) of section 89", the expression "except the posts specified in clause (v) of sub-section (2) of section 89" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the sequence of empowering the Panchayati Raj Institutions, the responsibility of recruitment of Third Grade teachers needs to be entrusted to District Establishment Committee.

Under the existing provisions of sections 89 and 90 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 the recruitment of Third Grade teachers is being done through Rajasthan Public Service Commission.

It has been felt that the recruitment process through Rajasthan Public Service Commission takes a long time. Therefore, the provisions of the Act are proposed to be amended so as to entrust the function of recruitment of Third Grade teachers to District Establishment Committee.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

Hkjr flag]

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ ACT, 1994
(Act No. 13 of 1994)

XX XX XX XX

89. Constitution of the Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishad Service.–(1) There shall be constituted for the State a service designated as the Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishad Service and hereafter in this section referred to as the service and recruitment thereto shall be made district wise:

Provided that selection for the posts specified in clause (iii) of sub-section (2) shall be made at the State level.

(2) The service may be divided into different categories, each category being divided into different grades, and shall consist of –

(i) village level workers;
(ii) Gramsevikas;
(iii) Primary and Upper Primary school teachers;
(iv) ministerial establishment (except Accountants and Junior Accountants); and
(v) Prabodhak and Senior Prabodhak.

(3) The State Government may encadre in the service any other category or grade of officers and employees of Panchayat Samitis and Zila Parishads and not included in class IV Services.

(4) to (5) XX XX XX XX

(6) Appointment by direct recruitment on the posts specified in clauses (i), (ii) and (iv) of sub-section (2) and on the posts encadered under sub-section (3) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government, from out of the persons selected for the posts in a grade or category in the district by the District Establishment Committee referred to in sub-section (1) of section 90.

(6-A) Appointment by direct recruitment on the posts specified in clause (iii) of sub-section (2) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government, from out of the persons selected for the posts by the Rajasthan Public Service Commission in accordance with the rules made by the State Government in this behalf:

Provided that in case of the posts reserved for widows and divorcee women, selection shall be made in such manner and by such Screening Committee as may be prescribed by the State Government.

(6-B) to (11) **XX XX XX XX**

90. Constitution and functions of the District Establishment Committee.–(1) **XX XX XX**

(2) The District Establishment Committee shall-

(a) make selection for the posts in different grades and categories except the posts specified in clause (iii) and (v) of sub-section (2) of section 89, existing in the service in the Panchayat Samiti and the Zila Parishad in the District in accordance with the rules made by the State Government in this behalf;

(b) regulate the mode of temporary appointment and recommend the names of persons for extending such appointment beyond six months;

(c) prepare lists of persons for promotion in the prescribed manner; and

(d) Advise the Panchayat Samitis of the district and the Zila Parishad on all disciplinary matters affecting the officers and other employees thereof other than those referred to in section 79 and 82, which may arise under section 91.

XX XX XX XX

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(BHARAT SINGH, **Minister-Incharge**)